न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या :– 176 / 2023 निर्णय दिनांक :– 29/04/24

उनवानी प्रार्थना पत्र :–

मंदिर धनुषधारी महाराज ग्राम डाबरकलां जरिये पुजारी

1. राधेश्याम बैरागी पुत्र लक्ष्मण दास निवासी डाबरकलां तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. रामेश्वर बैरागी पुत्र लक्ष्मण दास निवासी डाबरकलां तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. दुर्गालाल बैरागी पुत्र गोपाल दास निवासी डाबरकलां तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. सीताराम बैरागी पुत्र मोहन दास निवासी डाबरकलां तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. सत्यनारायण बैरागी पुत्र मोहन दास निवासी डाबरकलां तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थी–

उपस्थिति :– श्री सांवरिया बैरागी **तहसीलदार देवली**

अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 281 खसरा नम्बर

1877/2379 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 1881 रकबा 1.01 है0, खसरा नम्बर 620 रकबा 0.47 है0, खसरा नम्बर 621 रकबा 0.43 है0, खसरा नम्बर 622 रकबा 0.37 है0, खसरा नम्बर 625 रकबा 0.27 है0 कुल किता–6, कुल रकबा 2.85 है0 वाके ग्राम डाबरकलां पटवार हल्का डाबरकलां तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है।

प्रार्थीगण मंदिर धनुषधारी महाराज ग्राम डाबरकलां के पुजारी है तथा मंदिर की सेवा पूजा एवं देखभाल करते है इस कारण प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण ने पूर्व मे उक्त भूमि की नाप चोप करवायी थी जिसके सीमा चिन्ह मिट चुके है तथा सीमाएं अस्पष्ट हो गई है जिसके कारण मोके पर प्रार्थीगण एवं अडोस पडोस के खातेदारो के मध्य उक्त भूमि की सीमा एवं कब्जे को लेकर गंभीर विवाद होने की संभावना उत्पन्न हो गई है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी भूमि बाबत उत्पन्न होने वाले विवाद को समाप्त करने के लिये उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है। यदि उक्त भूमि की पत्थरगढी नही करवायी गयी तो मोके पर गंभीर विवाद होगा, लडाई झगडा होगा तथा अनावश्यक रूप से मुकदमे बाजी बढेगी। उक्त भूमि बाबत कोई वाद न्यायालय मे विचाराधीन नही है और किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश भी न्यायालय से जारी नही है। प्रार्थीगण नियमानुसार पत्थरगढी का शुल्क जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी भूमि श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत् श्रीमान तहसीलदार देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो निम्न प्रकार है :– उक्त आराजी मंदिर धनुषधारी महाराज के नाम दर्ज है तथा आवेदक का कब्जा काश्त है। आवेदक का अन्य पडौसी खातेदारों से सीमा विवाद है। खसरा नम्बर 1879 अमरसिंह वीरमसिंह पुत्र मोहन, शिवराज सोजी पुत्र कालूराम मीणा, खसरा नम्बर 1880 नर्बदा देवी पत्नि रामलाल मीणा, खसरा नम्बर 1882 बरदा पुत्र भैरु गुर्जर, खसरा नम्बर 1872, 1871/2341 पूर्णजीतराम दुर्गालाल पुत्र चतरा, शंकर नाथू पप्पू पुत्र रामदेव खटीक, खसरा नम्बर 564 अशोक सुनील पुत्र सत्यनारायण, गिरधारी बनवारी विजय कुमार पुत्र रामेश्वर लौहार, खसरा नम्बर 618, 619 जगन्नाथ पुत्र भील रेगर, मीरा पत्नि मेवालाल बैरवा खसरा नम्बर 626, 628, 624, 623 आशाराम पप्पू पुत्र मेवा भोजराज जयराम पुत्र माधू, मोतीलाल रामजस जगदीश पुत्र उगमा सावरा छीतर पुत्र बद्रीलाल गुर्जर है। आवेदक के नाम खातदारी भूमि दर्ज नही है। आवेदक पुजारी है। प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया गया है। वादी का विरासत का नामान्तकरण शेष नही है। आवेदक का जिन पडोसी खातेदारो से सीमा विवाद है उनको पक्षकार नही बनाया गया है। पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। उक्त आराजी पर मुताबिक स्थगन पत्रावली स्थगन नही है। आवेदक कि खातेदारी भूमि कि सीमाओ पर अतिक्रमित राजकिय भूमि नहीं है। उक्त आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान नहीं हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई ।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, अधिवक्ता प्रार्थी बहस पर मनन किया। जमाबंदी सम्वत् 2071–76 में अंकित खाता संख्या 281 खसरा नम्बर 1877/2379 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 1881 रकबा 1.01 है0, खसरा नम्बर 620

रकबा 0.47 है0, खसरा नम्बर 621 रकबा 0.43 है0, खसरा नम्बर 622 रकबा 0.37 है0, खसरा नम्बर 625 रकबा 0.27 है0 कुल किता–6, कुल रकबा 2.85 है0 वाके ग्राम डाबरकलां तहसील देवली जिला टोंक के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त आराजी मन्दिर धनुषधारी की खातेदारी भूमि है, जिसके लिए प्रार्थीगण ने किस हैसियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है। यह स्पष्ट नहीं है

अतः उक्त आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी में न होकर मन्दिर धनुषधारी के नाम है और मन्दिर की भूमि शाश्वत नाबालिग है। उक्त आराजी के प्रार्थीगण खातेदार नहीं होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है और तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि उक्त विवादित आराजी का सीमाज्ञान करे और यदि कब्जा पाया जावे तो नियमानुसार कार्यवाही करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली